न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 31/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा

दायरा दिनांकः 2.5.2017

अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. ममता बाई पुत्री रामगोपाल पत्नी रामनिवास जाति मेधववाल निवासी ग्राम बोरदा हाल निवासी पुलिस लाईन कोटा जिला कोटा (राज0)।

...अपीलाट

बनाम

1 राकेश कुमार पुत्र रामगोपाल जाति मेघवाल
2 रामावतार पुत्र रामोपाल जाति मेघवाल
3 प्रमोद कुमार पुत्र रामोपाल जाति मेघवाल निवासीगण कुन्दनपुर रोड सांगोद जिला कोटा (राज0)।
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा (राज0)।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक अपीलाट
श्री सत्यनारायण सिसोदिया अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 व 3
श्री मनोज सुवालका अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2

निर्णय

दिनांक 24.01.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार सांगोद जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0नं0 34 वसीयत के आधार पर इन्तकाल खोलने बावत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 30.01.2017 की पालना मे तहसीलदार सांगोद द्वारा तस्दीक नामा0 सं0 1127 दिनांक 22.03.2017 ग्राम सांगोद (संक्षेप मे अपीलाधीन नामान्तरकरण) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि मृतक खातेदार बसन्तीबाई के खाते ग्राम सांगोद की आराजी ख0 नं0 329 रकबा 2.72 है0 का मृतक खातेदार बसन्तीबाई के स्थान पर वसीयत के निर्णय दिनांक 30.01.2017 की पालना मे वसीयत ग्रहीता पुत्र राकेश कुमार, रामावतार व प्रमोद कुमार के नाम तहसीलदार सांगोद द्वारा तस्दीक नामा0 सं0 1127 दिनांक 22.03.2017 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही एवं साक्ष्यो पर गौर किये बिना पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किये जाने मे त्रुटि की है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत की जांच करने का अधिकार नही था वसीयत की जांच सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही करवाई जा सकती है। अनरजिस्टर्ड वसीयत व वसीयत के गवाहान को परीक्षित किये बिना केवल मात्र शपथपत्र के आधार पर गवाहान द्वारा वसीयत को उनके सामने किया जाना मानकर निर्णय पारित करने मे विधिक त्रुटि की है। अपीलांटा एवं रेस्पो0 क्रम 1 ता 3 मृतक बसन्तीबाई के जायज वारिस होने संबधी तथ्य

की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय थी ऐसी स्थिति मे विवादित आराजी का नामान्तरकरण मृतक के जायज सभी वारिसान के नाम खोला जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने फर्जी वसीयत के आधार पर निर्णय पारित कर इन्तकाल खोलने मे कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं नामा0 सं0 1127 निरस्त किया जाकर ग्राम सांगोद विस्थित आराजी ख0 सं0 329 की 2.72 है0 का इन्तकाल अपीलांटा एवं रेस्पो0 क्रम–1 ता 3 के नाम संयुक्त रूप से समभाग खोले जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–2 सुनी गई। रेस्पो0 क्रम–1 व 3 के अधिवक्ता श्री सत्यनारायण सिसोदिया बहस के दौरान उपस्थित नही हुये।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा प्रकट किया कि विवादित आराजी बसंन्तीबाई के खाते की है। बसंतीबाई की मृत्यु हो चुकी है। अपीलांट एंव रेस्पो0 क्रम–1 ता 3 भाई बहिन है जो बसंतीबाई के वारिस है तथा विवादित आराजी मे समान हक हकूक निहित है। जिस वसीयत के आधार पर तहसीलदार सांगोद द्वारा नामान्तरकरण रेस्पो0 क्रम–1 ता 3 के पक्ष मे तस्दीक करने का आदेश दिया है वह वसीयत फजी है। वसीयत की वैधता की जांच सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है तहसीलदार को वसीयत की जांच करने का अधिकार नही है। बहस मे आगे बताया कि विवादित आराजी के संबध मे सिविल कोर्ट का स्टे है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर गौर नही किया। विवादित आराजी के बंसतीबाई के पति की हैं। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय व नामान्तरकरण सं0 1127 निरस्त किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2 ने अपनी बहस मे वसीयत फर्जी होने का कथन किया।

5 रेस्पो0 क्रम 1 व 3 के अभिभाषक बावजूद सूचना के बहस के दौरान उपस्थित नही हुये।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। तहसीलदार सांगोद द्वारा मृतक बंसतीबाई के खाते दर्ज विवादित आराजी ख0 नं0 329 रकबा 2.72 है0 मृतक बसंतीबाई के स्थान पर वसीयत के निर्णय दिनांक 30.01.2017 की पालना मे वसीयत ग्रहिता पुत्र राकेश कुमार, रामावतार, व प्रमोदकुमार के नाम नामान्तरकरण संख्या 1127 स्वीकार किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांटा व रेस्पो0 क्रम–1 ता 3 मृतक बंसतीबाई के पुत्र–पुत्री एवं विधिक वारिस होने से विवादित आराजी मे समान हक हकूक निहित है। दूसरा तर्क है कि जिस वसीयत के आधार पर तहसीलदार सांगोद द्वारा नामान्तरकरण रेस्पो0 क्रम–1 ता 3 के पक्ष मे तस्दीक करने का आदेश दिया है वह वसीयत फर्जी है। वसीयत की वैधता की जांच सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है तहसीलदार को वसीयत की जांच करने का अधिकार नही है। विवादित आराजी के संबध मे सिविल कोर्ट का स्टे है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्यो/दस्तावेजात पर गौर नही किया। अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 ता 3 मृतक खातेदार बसंतीबाई के पुत्र एंव पुत्री होने से उसके विधिक वारिस होना प्रकरण मे निर्विवाद तथ्य है। प्रकरण मे वसीयत ग्रहीता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे जो शपथ पत्र वसीयत की प्रमाणिकता के संबध मे पेश किये गये है उनसे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा उन पर अपीलांटा को जिरह का कोई अवसर प्रदान नही किया गया। कानूनी प्रावधानो के अनुसार वसीयत को प्रमाणित किया जाना आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति मे अपीलांट को अपने पक्ष समर्थन मे जिरह का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान नही किया जाना प्रतीत होता है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से विवादित मामले मे सिविल कोर्ट मे प्रकरण जेरकार होना

सदस्य रा० आयु०
कोटा

भी प्रकट होता है। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के संबध मे पारित निर्णय दिनांक 30.01.2017 एंव निर्णय की पालना मे तहसीलदार सांगोद द्वारा तस्दीक नामा0 सं0 1127 दिनांक 22.03.2017 ग्राम सांगोद को न्यायोचित नही पाते है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सांगोद द्वारा वसीयत के संबध मे पारित निर्णय दिनांक 30.01.2017 एंव निर्णय की पालना मे तस्दीक नामा0 सं0 1127 दिनांक 22.03.2017 ग्राम सांगोद अपास्त किया जाता है। प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि तहसीलदार सांगोद वसीयत के मामले मे प्रकरण मे साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत शपथ पत्र पर अपीलांट को विधिवत जिरह का अवसर प्रदान करते हुये एवं मृतक बसंतीबाई के सभी वारिसान को साक्ष्य/सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर तथा सिविल कोर्ट मे जेरकार प्रकरण की वस्तुस्थिति को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण का पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8 निर्णय आज दिनांक 24.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा